



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238570
CG-DL-E-02092022-238570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3964]
No. 3964]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4145(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डी. वार्ड. चंद्रचूड को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा. सं. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)]

एस. के. जी. रहाटे, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

S.O. 4145(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Dr. Justice D. Y. Chandrachud, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with immediate effect.

[F. No. A-60011/44/2015-LAP(JUS)]

S. K. G. RAHATE, Secy.

5932 GI/2022